म. प्र. राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्या., 74 बंगले खेल परिसर, भोपाल

फैक्स.0755–2552628, दूरभाष– 2674349

कुल्लू गोंद, अचार–गुठली, महुआ फूल, हर्रा, नीम बीज हेतु संक्षिप्त विक्रय निविदा सूचना

अधिसूचना क./संघ/2012/04 भोपाल, दिनांक 18.07.2012

वर्ष 2012–13 सीजन में संग्रहित होने वाले कुल्लू गोंद की इकाईयों के अग्रिम निर्वर्तन, वर्ष 2011–12 सीजन में संग्रहित एवं गोदामीकृत कुल्लूगोंद के निर्वर्तन एवं वर्ष 2011 में संग्रहित एवं गोदामीकृत अवशेष अचार–गुठली के निर्वर्तन, वर्ष 2012 में संग्रहित एवं गोदामीकृत महुआ फूल, हर्रा एवं नीमबीज के निर्वर्तन हेतु दिनांक 08.08.2012 को अपरान्ह 3:00 बजे तक सीलबंद निविदायें संघ मुख्यालय भोपाल में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 3:30 बजे से खोली जावेंगी।

सामान्य शर्तें:– निविदा शर्तें, तथा निविदा प्ररूप संघ मुख्यालय एवं संबंधित मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन महाप्रबन्धक के कार्यालय से दिनांक 04.08.2012 से प्राप्त की जा सकती है ।

कुल्लू गोंद हेतु वर्ष 2012 के लिए विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

म.प्र./माध्यम/ **प्रबन्ध संचालक**

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित,
खेल परिसर, इंदिरा निकुंज, 74 बंगले, भोपाल – 462003
दूरभाष – 2674349, 2760585, फैक्स – 2552628
e-mail : mdmfpfed@sancharnet.in
www.mfpfederation.com

वर्ष 2012 संग्रहण काल में संग्रहित एवं गोदामीकृत हर्रा, कचरिया के निर्वर्तन के लिये निविदा सूचना, निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश

निविदा अधिसूचना कमांक/संघ/हर्रा/2012/04 **भोपाल, दिनांक 18.07.2012**

चूंकि मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल (जिसे इसके पश्चात् संघ कहा गया है) ने विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा लाई गई हर्रा, कचरिया विभिन्न संग्रहण केन्द्रों पर क्रय की है तथा उसे राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थित गोदामों में भंडारित किया है ।

अतएव अब संघ उक्त हर्रा कचरिया के क्रय के लिये इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों/विभिन्न कंपनियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है ।

1. परिभाषाएँ –

इस अधिसूचना तथा इसके विभिन्न परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) **''संघ''** से तात्पर्य **मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ** मर्यादित से है ।

(ii) **''हर्रा''** से तात्पर्य है हर्रा, कचरिया एवं बाल हर्रा से है।

(iii) **''देय राशि''** से तात्पर्य लाट की क्रय दर एवं उस पर देय कर के योग से है ।

(iv) **''निविदाकार''** से तात्पर्य उस व्यक्ति या पंजीकृत फर्म या विधिक कम्पनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तो के अधीन हर्रा क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करता है और उस अभिव्यक्ति में उसके दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती भी सम्मिलित होंगे ।

(v) **''परिशिष्ट''** से तात्पर्य निविदा सूचना के परिशिष्ट से है ।

(vi) **''अधिसूचित मात्रा''** से तात्पर्य संलग्न परिशिष्ट–चार में विशिष्ट लाट के सामने दर्शाई गई मात्रा (क्विंटल में) से है ।

(vii) **''प्रबंध संचालक, जिला यूनियन''** से तात्पर्य संबंधित वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) से है जो संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी हैं ।

(viii) **''मुख्य वनसंरक्षक''** से तात्पर्य संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वनसंरक्षक एवं संघ के पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधक से है।

(ix) **''परिक्षेत्र अधिकारी''** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से है, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी है ।

(x) **''क्रय दर''** से तात्पर्य निविदाकार द्वारा प्रस्तावित लाट विशेष की बिना बोरो में भरे गोदाम से परिदान की जाने वाली हर्रा की प्रति क्विंटल दर से है। जिसमें देयकर सम्मिलित नही है।

(xi) **''शासन''** से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है ।

(xii) **''देयकर''** से तात्पर्य लाट की हर्रा के क्रय मूल्य पर समय–समय पर प्रवृत्त देय वाणिज्यिक कर, वन विकास उपकर, व तत्समय प्रवृत्त अन्य सभी कर/उपकर आदि के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है ।

(xiii) **''लाट''** से तात्पर्य किसी विशिष्ट वन मंडल के विशिष्ट क्षेत्र में संग्रहित की गई हर्रा से है, जो संग्रहण उपरान्त एक या अधिक गोदामों में गोदामीकृत हो एवं जो परिशिष्ट–चार में वर्णित है ।

(xiv) **''जिला यूनियन''** से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 (क्रमांक 7 एवं 1961) के अधीन पंजीकृत किसी जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित से है, जो संघ की सदस्य हैं ।

(xv) **''क्रय मूल्य''** से तात्पर्य उस राशि से है, जो परिशिष्ट–चार में दी गई सूची में लाट विशेष की क्विंटल में दर्शित मात्रा को उपरोक्त बिंदु क्रमांक **(x)** में परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो ।

(xvi) **''बकाया''** से अभिप्रेत है, निविदाकार के विरूद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग अथवा ''संघ'' को शोध्य है और जिसकी सूचना निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो ।

2. लाट एवं करार अवधि –

इस सूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट चार में दर्शित हर्रा के लाटों के क्रय के लिये दिनांक 30.11.2012 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिए एतद द्वारा निविदाऐ आमंत्रित की जाती है।

3. निविदा पत्र आदि –

(i) निविदाकार को निर्धरित प्रपत्र (परिशिष्ट–एक) में ही अपनी निविदा प्रस्तुत करनी होगी । यह निविदा पत्र प्रबंध संचालक, संघ मुख्यालय तथा संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के कार्यालयों से रू.100.00 के किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट, जो कि प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ के पक्ष में संघ मुख्यालय या संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधक के मुख्यालय पर देय हो, के माध्यम से अथवा नकद भुगतान पर से किसी भी कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(ii) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि निविदा के साथ निविदाकार का करारनामा प्राप्त कर लिया है, (परिशिष्ट–दो) क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रुप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है तथा वह उसके द्वारा प्राप्त किये गये समस्त अभिलेखों के लिए रसीद देगा । आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है ।

4. विक्रय ''जहां है जैसा है'' के आधार पर –

(i) शर्त क्रमांक 4 (ii) के अध्यधीन रहते हुए हर्रा का विक्रय ''जहां है जैसा है'' के आधार पर है। इच्छुक निविदाकार को यह सलाह दी जाती है कि वे उन गोदामीकृत हर्रा के लाटों, जिनके लिए वे निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, का स्वयं निरीक्षण कर लें तथा प्रत्येक लाट में हर्रा की गुणवत्ता के साथ साथ उसकी मात्रा के बारे में भी अपनी संतुष्टि कर लें । निविदा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् हर्रा की गुणवत्ता या उसकी उपयुक्तता के संबंध में किसी भी समय कोई भी विवाद मान्य नहीं किया जायेगा और न ही निविदाकार का आफर स्वीकृत हो जाने के पश्चात् संघ हर्रा की गुणवत्ता में ह्रास के लिए उत्तरदायी होगा तथा हर्रा क्रेता के उत्तरदायित्व पर गोदाम में भण्डारित रहेगी ।

(ii) ठेका हर्रा की परिशिष्ट–चार में वर्णित अधिसूचित मात्रा के क्रय/ विक्रय के लिए होगा, परन्तु यदि किसी लाट में इस निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में हर्रा निकलता है, तब क्रेता को उसे भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा। अतिरिक्त राशि का भुगतान क्रेता द्वारा लाट का परिदान लिये जाने के पूर्व करना होगा । अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं उसके अनुसार देय राशि को मान्य करना होगा ।

5. निविदा प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत व्यक्ति आदि –

(i) निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है/कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में। भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और निविदा पत्र पर सभी भागीदारों द्वारा अथवा उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्त्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे। पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी । जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो । मर्यादित कम्पनी की स्थिति में निविदा पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी मेमोरेंडम और आर्टीकल आफ एसोसिएशन की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को निविदा अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, निविदा पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे, जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी । अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में

कुटुम्ब के सभी सदस्यों के नाम निविदा पत्र में लिखे जायेंगे तथा ''कर्ता'' जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और अपने हस्ताक्षर के नीचे अपनी हैसियत का उल्लेख करेगा ।

(ii) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्त्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा पत्र के साथ संलग्न करेगा। यदि निविदा पत्र पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्त्यारनामा या भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता हैं, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगी । मुख्त्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे । हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्त्यारनामे पर ''कर्ता'' जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

(iii) अवयस्क, दिवालिया, अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अवैध मानी जावेंगी ।

(iv) ऐसा निविदाकार जो कि बकायादार है, निविदा के साथ किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में भोपाल में देय हो, बकाया का भुगतान कर सकता है परन्तु यदि वह ऐसा करने में चूक करता है, तो उसके द्वारा निविदा के साथ सत्यंकार के रूप में जमा राशि से बकाया राशि को काट कर शेष राशि के आधार पर उसकी क्रय क्षमता की गणना कर उसकी निविदा पर विचार किया जावेगा ।

(v) यदि कोई निविदाकार निविदा के खुलने के समय कोई कदाचार करता हैं या शांति बनाये रखने में बाधा डालता है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित कर दी जायेगी एवं उसके द्वारा निविदा के साथ जमा सत्यंकार की राशि अधिहरित कर ली जावेगी तथा ऐसी निविदा के अवैध घोषित किये जाने के कारण संघ को हुई हानि उससे वसूली योग्य होगी और इसके अतिरिक्त ऐसे निविदाकार को ऐसी कालावधि के लिए प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा, जो तीन वर्षों तक हो सकती है ।

6. निविदा भरने की प्रक्रिया –

(i) जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो, संलग्न परिशिष्ट–चार में उल्लेखित प्रत्येक लाट के लिये पृथक निविदा प्रस्तुत करना होगी तथा कोई भी व्यक्ति या पक्ष एक लाट के लिये एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगा ।
(ii) निविदाकार प्रत्येक लाट के लिये प्रति क्विंटल क्रय दर (विक्रय कर, वन विकास उपकर एवं अन्य देय करों को छोड़कर) प्रस्तावित करेगा ।
(iii) किसी लाट के लिये एक से अधिक या भिन्न राशि की निविदाएं एक ही व्यक्ति या पक्ष द्वारा प्रस्तुत करने पर केवल उच्चतम राशि की निविदा पर ही विचार किया जायेगा तथा दूसरी निम्न राशि की निविदा/निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा ।
(iv) निविदाकार को निविदा पत्र के प्रत्येक पृष्ठ को भरना होगा और प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उसके साथ समस्त आवश्यक अभिलेख एवं सम्यक् रूप से निष्पादित किये गये निविदाकार के करारनामे को संलग्न कर, निविदा सूचना की शर्त क्रमांक–5 के अनुसार उसे प्रस्तुत करना होगा। सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा तथा अन्य अभिलेख निविदा पत्र के साथ संलग्न न किये जाने पर, निविदा विचार किये जाने योग्य नहीं होगी ।
(v) निविदाकार प्रत्येक लाट के लिए जिसे क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहता है, निविदा परिशिष्ट–एक एवं वांछित अन्य प्रपत्रों के साथ इस निविदा सूचना से संलग्न परिशिष्ट–दो में करारनामा निष्पादित करके संलग्न कर शर्त क्रमांक–8 में बताये अनुसार प्रस्तुत करेगा ।
(vi) निविदाकार को अपने पत्र में अपना पूर्ण एवं सही डाक का पता इस हेतु, निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा । इस पते पर पंजीकृत डाक से भेजे गये पत्र उसके द्वारा प्राप्त किये गये माने जावेंगे । निविदाकार को संबोधित समस्त पत्रों को प्राप्त करने का दायित्व उसका स्वयं का है । यदि निविदाकार के द्वारा अंकित किया गया डाक पता गलत पाया जाता है तो उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

(vii) सशर्त निविदा, दूरलेख द्वारा प्रेषित निविदा, अथवा विहित रीति के अतिरिक्त अन्य किसी रीति द्वारा प्रस्तुत निविदा अवैध मानी जावेगी ।

7. सत्यंकार की राशि –

(i) प्रत्येक निविदा, सत्यंकार की राशि जो परिशिष्ट–चार में दर्शित विशिष्ट लाट की अधिसूचित मात्रा के लिये हर्रा हेतु ₹ 400/– प्रति क्विंटल की दर से परिगणित राशि से किसी भी दशा में एक लाट के लिए ₹ 5000/– से कम नही होगी, के बराबर या उससे अधिक होगी। यह सत्यंकार की राशि म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक के पक्ष में, भोपाल में देय किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाएगी । अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर निविदा संक्षिप्त रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी ।

(ii) निविदाकार उपरोक्त सत्यंकार की राशि अनेक लाटों के लिये एक ही बैंक ड्राफ्ट द्वारा निक्षेप कर सकता है और इस बैंक ड्राफ्ट क्रं. और दिनांक का संबंधित लाटों के निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित करेगा । ऐसी स्थिति में निविदाकार विभिन्न लाटों के लिए प्रस्तुत निविदाओं में जमा की गई धनराशि का विवरण पत्रक यथा स्थिति बैंक ड्राफ्ट के साथ किसी एक निविदा के साथ संलग्न करेगा । सत्यंकार की राशि के लिये लाटो का क्रम भी विवरण पत्रक में दर्शायेगा । यदि किसी निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सत्यंकार की राशि उसके द्वारा प्रस्तावित समस्त लाटों के लिये कुल देय सत्यंकार की राशि से कम है तो उसके द्वारा विवरण पत्रक में दर्शित लाटों में उसकी सत्यंकार की राशि पर विचार किया जाएगा । इस प्रकार क्रम में विचार करने पर यदि किन्हीं लाटों के लिये अवशेष सत्यंकार की राशि उपरोक्त शर्त **(i)** के अनुसार परिगणित देय सत्यंकार की राशि से कम है तो उस लाट एवं उसके उपरांत के क्रम में दर्शित लाटों के लिये संबंधित क्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(iii) सफल निविदाकार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक **13 (i)** के अनुसार समायोजित की जावेगी ।

(iv) उपरोक्तानुसार प्रतिभूति के रूप में समायोजित करने के उपरांत शेष सत्यंकार की राशि निविदाकार के निवेदन पर उसको आवंटित लाट/लाटों के देय भुगतान की ओर समायोजित की जावेगी अथवा उसे वापिस कर दी जावेगी ।

(v) असफल निविदाकार की सत्यंकार राशि उन्हें परिणाम घोषित होने के उपरांत वापिस कर दी जावेगी ।

(vi) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा ।

8. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण –

(i) सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा एक मुहरबंद लिफाफे में जिस पर निम्न विवरण एवं पता लिखा होगा, रखी जावेगी :

<u>वर्ष 2012 संग्रहण काल में संग्रहित एवं गोदामीकृत हर्रा के क्रय के लिए निविदा</u>

निविदा खोलने की तिथि : (निविदा सूचना क्रमांक हर्रा ..... दिनांक .....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित,
74 बंगले, इंदिरा निकुंज, खेल परिसर,
भोपाल – 462003

प्रेषक :

निविदाकार का नाम .....
पता .....
.....

(ii) निविदा हेतु निविदा पत्र अन्तर्धारित करने वाला लिफाफा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, भोपाल को अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति को सम्यक अभिस्वीकृति प्राप्त करके दिया जा सकेगा या पावती पंजीकृत डाक द्वारा उनको इस प्रकार भेजा जा सकता है ताकि वह दिनांक 08.08.2012 को 3.00 बजे अपरान्ह तक संघ कार्यालय में प्राप्त हो जावे । सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर भी निविदायें इसी तिथि को प्राप्त की जावेंगी ।

9. निविदाओं का खोला जाना –

प्राप्त निविदायें दिनांक 08.08.2012 को 3.30 बजे अपरान्ह से प्रबंध संचालक, संघ अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी/समिति द्वारा संघ कार्यालय, भोपाल में ऐसे निविदाकार के समक्ष जो उपस्थित हो, खोली जावेगी ।

10. प्रस्तावों का वापस लिया जाना –

(i) निविदाओं का खुलना प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से पूर्व कोई भी निविदाकार निविदा सूचना की शर्त क्रमांक–9 के अंर्तगत, निविदाओं को खोलने हेतु प्राधिकृत अधिकारी/समिति के समक्ष प्रस्ताव वापसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को वापस ले सकेगा। प्रस्ताव वापसी के आवेदन पत्र में उन लाटों के क्रमांक अंकों एवं शब्दों में उल्लेख करना आवश्यक होगा, जिनके प्रस्ताव वापस लिये जाना प्रस्तावित हैं। उक्त विवरण के अभाव में अथवा अंकों एवं शब्दों में भिन्नता होने पर संबंधित प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ii) निविदाओं का खुलना प्रारम्भ होने के उपरांत कोई भी निविदाकार किसी लाट/लाटों के लिये अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने प्रस्ताव तथा निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता । इस शर्त का उल्लंघन करने पर शर्त क्रमांक 7.1 के अंतर्गत अपेक्षित जमा सत्यंकार की रकम जप्त कर ली जावेंगी तथा उसे ऐसी कालावधि के लिए जो कि तीन वर्ष से अधिक न हो, संघ व्यापारिक संबंध समाप्त कर सकता है।

11. निविदाओं का स्वीकार किया जाना –

(i) शासन/संघ किसी भी निविदा/निविदाओं को बिना कारण दर्शाये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(ii) यदि किसी विशिष्ट लाट के लिये एक से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान दर प्रस्तावित की जाती है, तो ऐसी निविदाओं को खोलने के तुरंत पश्चात प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ अथवा उनके द्वारा निविदाएं खोलने हेतु प्राधिकृत अधिकारी/समिति उस लाट के उन निविदाकार को जो कि उपस्थित हो तथा जिन्होंने समान क्रय दर प्रस्तावित की हो, अपने प्रस्तावों में वृद्धि करने के लिये अनुज्ञात करेगा तथा ऐसे बढ़ी हुई अधिकतम क्रय दर पर स्वीकृति या अन्यथा के लिये विचार किया जावेगा । प्रस्तावित राशि में वृद्धि न करने की दशा में किसकी निविदा स्वीकृत किया जाना चाहिए इसका निश्चय लाटरी निकालकर किया जावेगा ।

(iii) सफल निविदाकार को विशिष्ट लाट के लिये क्रेता के रूप में नियुक्त किया जावेगा और हर्रा का ऐसा संपूर्ण परिमाण संघ अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा गोदाम से क्रेता को परिदत्त किया जावेगा । नियुक्त क्रेता द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जो कि क्रेता द्वारा किये जाने वाले संलग्न क्रेता करारनामा के प्रारूप (परिशिष्ट–तीन) में उल्लेखित है, हर्रा का परिदान दिया जावेगा ।

12. क्रेता करारनामा का निष्पादन –

(i) सफल निविदाकार का प्रस्ताव पत्र जारी कर स्वीकार किया जावेगा और ऐसी स्वीकृति जारी होने पर सम्बंधित हर्रा के लाट के क्रय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार लाट का क्रेता माना जावेगा ।

(ii) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 14 दिन के अन्दर, प्रत्येक लाट के लिए परिशिष्ट – तीन (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा प्रबंध संचालक जिला यूनियन अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा । निविदाकार के द्वारा उक्त अवधि व्यतीत हो जाने की स्थिति में 1000/– रूपये बतौर फीस संबंधित जिला यूनियन कार्यालय में अथवा संघ मुख्यालय में जमा किये जाने पर इस अवधि में प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी । इस प्रकार 14वां दिन/7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा । 14 दिन/7 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी ।

(iii) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर संबंधित हर्रा की अधिसूचित मात्रा में ₹ 400/– प्रति

क्विंटल से गुणा करने पर परिगणित राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और संबंधित प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा ऐसे निविदाकार को 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली–सूची में दर्ज किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त यदि लाट/लाटों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्वर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

(iv) जो लाट विलम्ब से क्रय किये जावेंगे, उनके क्रेता करारनामे में अधोलिखित अतिरिक्त शर्त स्थापित की जाएगी –

इस करार का निष्पादन क्रेता द्वारा विलम्ब से किया गया है, परन्तु उसने वांछित समस्त कार्यो की पूर्ति की है तथा उनके दोषों के लिये वह उत्तरदायी होगा । क्रेता इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठायेगा कि उसकी नियुक्ति विलम्ब से किये जाने के कारण अथवा करार का निष्पादन उसके द्वारा विलम्ब से किये जाने के कारण संघ को होने वाली क्षति के लिये अथवा उससे संबंधित अर्थदंड के लिये वह उत्तरदायी है ।

(v) करारनामा निष्पादन के उपरांत क्रेता द्वारा क्रय किए गए हर्रा के लाट/लॉट्स के करों सहित क्रय मूल्य का भुगतान संघ मुख्यालय या संबंधित जिला यूनियन के कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट, जो कि लघु वनोपज संघ के पक्ष में संघ मुख्यालय पर देय हो, के माध्यम से क्रेता नियुक्ति आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर किए जाने पर, संबंधित प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा क्रेता के पक्ष में कार्य आदेश जारी किया जाएगा । कार्यादेश के आधार पर क्रेता को ''क्रेता करारनामा'' की कंडिका 7 में निहित प्रक्रिया अनुसार, उसके द्वारा क्रय किए गए हर्रा का परिदान दिया जाएगा ।

13. प्रतिभूति निक्षेप –

(i) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित कुल क्रय मूल्य की 10% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी । उपरोक्त 10% की राशि के प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 7 के अनुसार जमा की गई सत्यंकार की राशि, जिस हद तक वह उपलब्ध है, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अवशेष राशि, यदि कोई हो, तो उसको निर्धारित समय के अंदर उसे जमा करना होगा । प्रतिभूति निक्षेप की राशि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पास, किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के नाम होगा तथा संबंधित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के मुख्यालय के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रूप में अदा की जाएगी ।

(ii) यह प्रतिभूति निक्षेप यथास्थिति या तो पूर्णतः या अंशतः प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा करार तथा इन शर्तो के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य राशि या यदि कोई हो, के प्रति क्रेता को इस आशय का सूचना पत्र देते हुए समायोजित की जा सकेंगी।

(iii) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति प्रबंध संचालक, को उस आशय की सूचना जारी होने के 7 दिन के भीतर न की जाये, भू–राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(iv) प्रतिभूति निक्षेप या इसमें से अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, प्रबंध संचालक जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता ने क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का निर्वहन किया है और उसके ऊपर कोई देय राशि बकाया नहीं है, अंतिम भुगतान में समायोजित की जा सकेगी ।

14. हर्रा का परिदान –

(i) निविदाकार उसके क्रेता नियुक्त होने पर वह उस लाट की हर्रा की समस्त अधिसूचित मात्रा जो संघ या उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा परिदान की जावे, कच्चे रूप में बिना बोरों में भरे हुए तथा क्रेता के

करारनामे में निहित विधि से खरीदेगा । परिदत्त की जाने वाली हर्रा की गुणवत्ता के संबंध में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

(ii) यदि हर्रा इस अनुबन्ध में सम्मिलित किसी लाट में निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में हैं तो क्रेता को उसे भी लाट के लिये अनुबन्ध की कंडिका क्रमांक 3 में दर्शाई स्वीकृत दर पर अतिरिक्त भुगतान कर क्रय करना होगा । ऐसा अतिरिक्त भुगतान क्रेता को लाट का सम्पूर्ण परिदान लेने के पूर्व करना होगा जैसा कि निविदा सूचना में दर्शाया गया है । अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय अथवा लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ सुरक्षित रखता है और क्रेता को संशोधित मात्रा एवं उसके अनुसार देय राशि को मान्य करना होगा।

15. करारनामे का उल्लंघन –

ऐसा क्रेता, जो क्रेता करारनामें की किन्हीं शर्तो का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसके करारनामे को समाप्त कर दिया जाता है ,से संघ 3 वर्ष तक की काल अवधि के लिए व्यापारिक संबंध विच्छेद कर सकेगा ।

16. करारनामे का हस्तांतरण –

क्रेता प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा । ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति, पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह रुपये 5000/– की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित कुल क्रय मूल्य की 10% राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड/बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में भोपाल मुख्यालय की किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के माध्यम से अग्रिम में अदा करें । हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरणग्रहिता की सहमति, और उपरोक्तानुसार हस्तांतरण शुल्क एवं प्रतिभूति निक्षेप की राशि संघ कार्यालय में क्रेता नियुक्ति जारी होने के तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिये । ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय में संबंधित लाट का करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है ।

17. परिशिष्ट –

परिशिष्ट– एक से चार, जिनका कि सन्दर्भ ऊपर दिया गया है, जो कि संघ की इस अधिसूचना के साथ संलग्न हैं, समस्त प्रयोजनों के लिये इस निविदा सूचना के परिशिष्ट हैं एवं उनको संदर्भ के लिये देखें । निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट – एक से तीन को आगामी निविदाओं के उपयोग के लिये अपने पास सुरक्षित रखें ।

18. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना –

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना के निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

19. हानि की राशि की गणना –

हानि की संगणना हेतु अधोलिखित सूत्र का उपयोग किया जावेगा ।

हानि की राशि (रुपये में) (=) रकम जो क्रेता की नियुक्ति का आदेश निरस्त न किये जाने पर संघ को मिलती अर्थात् मूलतः स्वीकृत निविदा दर प्रति क्विंटल (–) पश्चातवर्ती निर्वर्तन में प्राप्त दर प्रति क्विंटल गुणित लाट की अधिसूचित मात्रा क्विंटल में ।

टिप्पणी– यदि उस विक्रय लाट का पश्चातवर्ती निर्वर्तन नहीं होता है, तो विगत क्रेता से यह राशि निम्नानुसार वसूली योग्य होगी :–

हानि की राशि (रुपये में) (=) स्वीकृत निविदा दर प्रति क्विंटल गुणित लाट की घोषित मात्रा क्विंटल में ।

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल– 462003

मध्यप्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के तहत पंजीयन कमांक

आयकर का PAN

परिशिष्ट– एक

(निविदा सूचना कमांक हर्रा (2012) –04 दिनांक 18.07.2012 का परिशिष्ट)
मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित,
खेल परिसर, इंदिरा निकुंज, 74 बंगले, भोपाल – 462003

हर्रा, कचरिया के लाटों के कय हेतु निविदा पत्र

(निविदा सूचना की शर्त कमांक –3(i))

मैं/हम..(नाम) आत्मज.. .... (नाम) ग्राम ....पुलिस थाना..जिला.......................... पिन कोड नं...........................एतद् द्वारा कच्चे माल के रूप में बोरों में भरे बिना हर्रा या उसकी ऐसी मात्रा जो कि वनमडण्ल/जिला यूनियन ....के लाट कं0 ....में दिनांक 30.11..2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान में संघ द्वारा तथा / या उसके पदाधिकारी तथा /या अधिकृत अभिकर्ता द्वारा परिदत्त की जाये निविदा सूचना तथा करारनामे की शर्तों तथा निवंधनों के अनुसार कय करने के लिये करार करता हूं/करते है ।

2. मैं/हम ....(नाम) दिनांक 30.11.2012 को समाप्त होने वाली करार अवधि के दौरान उपरोक्त लाट में परिदत्त किये गये समस्त हर्रा को बिना बोरों में भरे संग्रहण केन्द्र से परिदान लेने के लिये कय दर रुपया..(अंकों में) प्रति क्विंटल (रुपया .... (शब्दों में) प्रति क्विंटल) जिसमें विकय कर वन विकास उपकर व अन्य कर शामिल नहीं है, प्रस्तावित करता हूं/करते हैं ।

अ– यह दर हर्रा के उस परिमाण के लिये प्रस्तावित की गई है जिसे निविदा सूचना से संलग्न परिशिष्ट–चार के कालम (8) में उपरोक्त लाट के सामने दर्शाया गया है ।

ब– मै/हम हर्रा के समस्त ऐसे अतिरिक्त परिमाण जो कि मुझे/हमें ऊपर निर्दिष्ट किये गये हर्रा के परिमाण से अधिक परिमाण में परिदत्त किये जावें, निविदा सूचना की शर्त कमांक 7(i) में निश्चित तथा इस निविदा पत्र की कंडिका कमांक 2 में उल्लेखित की गई कय दर से कय करने का भी करार करता हूं/करते है ।

3. मै/हम यह भी करार करता हूं/करते है कि उपरोक्त पद दो में दर्शित कय दर के अतिरिक्त उस पर विकय कर, वन विकास उपकर एवं अन्य समस्त कर जो कि तत्समय लागू हो, भुगतान करुंगा/करेंगे ।

4. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं, कि मैंने/हमने इस निविदा सूचना की शर्तों और निविदा सूचना में संलग्न करार की शर्तों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और मैं/हम इनका पालन करने का करार करता हॅू/करते हैं । मैंने/हमने उपरोक्त लाट का जिसके लिये निविदा दी गई है, स्वयं निरीक्षण किया है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर ....

5. मैं/हम निविदा सूचना के निबंधन तथा शर्तों के अधीन अपेक्षित अनुसार निम्न लिखित संलग्न करता हूं/करते हैं –

अ.क्र.	अभिलेख	विवरण		निविदा पत्र के साथ संलग्न पृ. क्रमांक..... से .....तक
1.	निविदा पत्र के लिए रूपये 100.00 देनगी का साक्ष्य (निविदा सूचना की शर्त– 3(i)	कार्यालय ..... रसीद क्रमांक ..... (फोटो प्रति संलग्न है)		
2.	सत्यंकार की राशि (निविदा सूचना की शर्त क्र. 7(i))	बैंक/डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक एवं दिनांक	बैंक का नाम एवं ब्रांच	राशि रू.
	योग कंडिका क्र.(2)			
3.	अधिकार पत्र/फर्म के पंजीयन/फर्म भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि (निविदा सूचना की शर्त क्र. 5(ii))	(संलग्न किये गये अभिलेख का नीचे विवरण दें)		

6. मैं/हम एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम मेरी/हमारी निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (आफर) पर तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूंगा/रहेंगे जब तक कि संघ के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति के आदेश पारित नहीं हो जाते अथवा दूसरा व्यक्ति/पक्ष इस लाट के लिए क्रेता के बतौर नियुक्त नहीं हो जाता है ।

7. फर्म के भागीदारों के नाम व पते इस प्रकार हैं :–

अ.क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

स्थान.....

दिनांक.....

निविदाकार के हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
डाक का पूरा पता .....
.....
पिन कोड न0 .....
दूरभाष न0 .....
ई मेल .....

परिशिष्ट – दो

(निविदा सूचना कमांक हर्रा (2012)–04 दिनांक 18.07.2012 का परिशिष्ट)
निविदाकार का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त 3 (ii))

यह करार आज दिनांक.....माह.....सन्.....को प्रथम पक्ष ..... के मार्फत कार्य करते हुए मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, (जिन्हें इसके आगे संघ कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री/मेसर्स..... आत्मज..... ग्राम.....पुलिस थाना..... जिला.....(जिन्हें इसके आगे ''निविदाकार'' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उसके दायद उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है ।

चूँकि संघ में समितियों के माध्यम से संग्रहित तथा गोदामीकृत हर्रा के विभिन्न लाटों का निविदा द्वारा निर्वर्तन करना चाहता है एवं उसके द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने हेतु सूचना कमांक हर्रा (2012) ..... दिनांक .....जारी की गई है और चूँकि संघ उपरोक्त निविदा सूचना की शर्तों के परिपालन के लिए संभावित निविदाकार से निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा निष्पादित करवाना चाहता है ।

और

चूंकि संघ उपरोक्त निविदा सूचना की शर्तों के परिपालन के लिये संभावित निविदाकार से निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा निष्पादित करना चाहता है ।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे संबंधित पक्ष एतद द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :–

1. मैं/ हम .....एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/करते है कि मैंने/हमने उपरोक्त वर्णित निविदा सूचना की शर्तों, निविदा के निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकार के लिए निर्देश तथा उपरोक्त निविदा सूचना से संलग्न क्रेता करारनामा की शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूं/करते हैं ।

2. मैं/ हम .....एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मैं/हम निविदाएं खुलना प्रारम्भ होने के पश्चात् अपना प्रस्ताव (ऑफर) वापस नहीं लूंगा/लेंगे। मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूंगा/रहेंगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं हो जाते या दूसरा व्यक्ति या पक्ष उस लाट/लाटों के लिए क्रेता नियुक्त नहीं हो जाता जिसके/जिनके लिए मैंने/हमने निविदा प्रस्तुत की है ।

3. मेरे/हमारे .....के द्वारा इस करारनामे की शर्तों के परिपालन में असफल होने पर मैं/ हम ऐसी शास्ति के भुगतान के दायित्वाधीन रहूँगा/रहेंगे जैसी कि निविदा सूचना की शर्तों और उपबंधों के अधीन वसूली योग्य होगी ।

4. इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा, कि वह संघ की अधिसूचना क्रमांक हर्रा (2012)–04 दिनांक 18.07.2012 के अधीन जारी की गयी निविदा सूचना के उपबंधों तथा शर्तों के, जो सब इस करार के भाग होंगे और उसके भाग बन गये समझे जावेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जावेगा कि वे इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित हैं, उपबंधों के अध्यधीन है ।

5. मैं/ हम .....एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मेरे/हमारे विरूद्ध मध्यप्रदेश में न तो वन विभाग अथवा संघ की कोई राशि बकाया है और न ही मैं/हम/शासन/संघ के द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हूँ/हैं ।

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षों ने पहले ऊपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

साक्षीगणः–

1. हस्ताक्षर .....
   नाम एवं डाक का पूरा पता .....

2. हस्ताक्षर .....
   नाम एवं डाक का पूरा पता .....
   की उपस्थिति में

.....

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम .....
डाक का पूरा पता .....
.....
पिन कोड न0.....
दूरभाष न0.....
ई–मेल .....

साक्षीगणः–

1. हस्ताक्षर .....
   नाम एवं डाक का पूरा पता .....

2. हस्ताक्षर .....
   नाम एवं डाक का पूरा पता .....
   की उपस्थिति में

संघ की ओर से

हस्ताक्षर .....

पदनाम एवं पता.....
.....

परिशिष्ट – तीन

(निविदा सूचना क्रमांक हर्रा (2012) ..... दिनांक ..... का परिशिष्ट)

क्रेता का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त 12)

यह करार आज दिनांक.....माह .....सन्.....को प्रथम पक्ष प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन .....के मार्फत कार्य करते हुए मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल (जिन्हें इसके आगे **संघ** कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उनके उत्तराधिकारी प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री ....आत्मज.....ग्राम.....पुलिस थाना.....जिला..... (जिन्हें इसमें इसके आगे क्रेता कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उसके दायद उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है । (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूंकि संघ ने समितियों के माध्यम से संग्रहित की गई हर्रा के विक्रय के लिए अपनी निविदा सूचना क्रमांक हर्रा (2012) ..... दिनांक ..... के द्वारा निविदायें आमंत्रित की थी, और क्रेता के द्वारा वन मण्डल / जिला यूनियन..... के लाट क्रमांक.....(अंको में).....(शब्दों में) .....नाम .....और जिसको कथित निविदा सूचना क्रमांक (2012) ..... दिनांक ..... के परिशिष्ट–चार में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, की हर्रा के क्रय के लिए की गई प्रस्तावित दर इसमें इसके पश्चात् दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस हर्रा का दिनांक ..... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है । (जो शब्द लागू न हों, उसे काट दिया जावे)

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :–

1. क्रेता करारनामा की अवधि –

यह करार दिनांक .....से प्रारंभ होगा और दिनांक ..... तक प्रवृत रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए ।

2. करारनामे के भाग –

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह संघ की अधिसूचना क्रमांक हर्रा (2012) ..... दिनांक ..... के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के, जो सब इस करार के भाग होंगे और उसके भाग बन गए समझे जावेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जाएगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्याधीन है ।

3. क्रय दर आदि –

क्रेता वनमंडल / जिला यूनियन ..... के लाट क्र. .....(अंकों में) ....(शब्दों में), जिसको कि इसके पश्चात लाट कहा गया है, की हर्रा (जो लागू न हो काट दें) को रूपया.... .....(अंकों में) प्रति क्विंटल (रूपया.....(शब्दों में) प्रति क्विंटल) की दर पर रूपये ..... (रूपये .....(शब्दों में) क्रय मूल्य पर क्रय करेगा । लाट के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय–समय पर देय कर / उपकर आदि भी अदा करेगा ।

4. **विक्रय ''जहां है जैसा है'' के आधार पर –**

(i) शर्त क्रमांक 4 के अध्यधीन रहते हुए हर्रा का विक्रय ''जहां है जैसा है'' के आधार पर है। इच्छुक निविदाकार को यह सलाह दी जाती है कि वे उन गोदामीकृत हर्रा के लाटों, जिनके लिए वे निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, का स्वयं निरीक्षण कर लें तथा प्रत्येक लाट में हर्रा की गुणवत्ता के साथ साथ उसकी मात्रा के बारे में भी अपनी संतुष्टि कर लें । निविदा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् हर्रा की गुणवत्ता या उसकी उपयुक्तता के संबंध में किसी भी समय कोई भी विवाद मान्य नहीं किया जायेगा और न ही निविदाकार का आफर स्वीकृत हो जाने के पश्चात् संघ हर्रा की गुणवत्ता में ह्रास के लिए उत्तरदायी होगा तथा हर्रा क्रेता के उत्तरदायित्व पर गोदाम में भण्डारित रहेगी ।

(ii) ठेका हर्रा की अनुसूची में वर्णित अधिसूचित मात्रा के क्रय/ विक्रय के लिए होगा, परन्तु यदि किसी लाट में इस निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में हर्रा निकलता है, तब क्रेता को संघ द्वारा ऑफर किये जाने पर, उन्हें भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा। अतिरिक्त राशि का भुगतान क्रेता द्वारा लाट का अंतिम परिदान दिये जाने के पूर्व करना होगा । अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा किश्तों में तद्नुसार संशोधन किया जावेगा तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किश्तों को मान्य करना होगा ।

5. अधिसूचित मात्रा से अधिक प्रदाय की सीमा –

क्रेता नियुक्त लाट में संग्रहित/क्रय की गई हर्रा की समस्त मात्रा जो संघ या उसके पदाधिकारी द्वारा परिदान की जावे, बिना बोरों में भरे हुए तथा क्रेता के करारनामे में निहित विधि से खरीदेगा । लाट में घोषित मात्रा से अधिक हर्रा होने पर संघ को यह अधिकार होगा कि वह अतिरिक्त हर्रा की मात्रा को क्रेता को परिदान दें अथवा नहीं । परन्तु यदि संघ द्वारा ऐसे हर्रा को परिदान लेने का ऑफर दिया जाता है तो क्रेता को उसका परिदान लेना होगा । अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा का परिदान स्वीकृत दरों पर लेने के लिए क्रेता बाध्य होगा ।

6. देय राशि के भुगतान की प्रक्रिया –

(i) क्रेता को देय राशि का प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ के नाम से संबंधित जिला यूनियन के मुख्यालय पर देय किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ द्वारा निविदा सूचना की शर्त क्रमांक 12(i) के अन्तर्गत जारी स्वीकृति आदेश की तिथि से 45 दिवसों के भीतर भुगतान करना होगा । निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में क्रेता करारनामा निरस्त किये जाने के दायित्वाधीन होगा । स्वीकृत राशि मय देय करों के भुगतान के बाद ही क्रेता संग्रहित हर्रा की नियमानुसार तौल एवं परिवहन करा सकेगा ।

(ii) संबंधित लाट में निहित हर्रा की मात्रा का तौल कराने पर यदि तौली गयी मात्रा, संबंधित लाट में अधिसूचित मात्रा से अधिक निकलती है एवं क्रेता करारनामा की कंडिका क्रमांक 5 के अधीन यदि संघ ऐसी अधिक मात्रा क्रेता को देना चाहता है, तो क्रेता को ऐसी अधिक मात्रा के लिये करों सहित देय राशि भुगतान करने के बाद ही परिदान दिया जावेगा । क्रेता को ऐसी अधिक मात्रा का करों सहित पूर्ण भुगतान परिदान लेने के पूर्व उपर कंडिका (i) के अनुसार करना होगा । यह भुगतान नहीं होने की स्थिति में लाट की समग्र मात्रा का परिदान आरम्भ नहीं किया जाएगा ।

(iii) ऐसी राशि जिसका भुगतान क्रेता द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता, उस पर 0.040 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज वसूल किया जायेगा ।

7. हर्रा के परिदान की प्रकिया –

(i) परिदान केन्द्र पर परिदान के समय तौलने और गोदाम से उठाने का समस्त व्यय क्रेता को वहन करना होगा । क्रेता को यह परिदान कार्य आदेश की दिनांक से 15 दिवस के भीतर लेना होगा और हर्रा को गोदाम से इसी अवधि में हटाना होगा । परन्तु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो परिदान आदेश को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक से पुनर्जीवित कराना होगा । क्रेता को उसके द्वारा क्रय किये गये हर्रा को गोदामों से केवल करार अवधि में ही हटाने का अधिकार है तथा करार अवधि समाप्त होने पर उसका हर्रा की शेष मात्रा पर कोई अधिकार नहीं होगा तथा ऐसा हर्रा संघ की संपत्ति बन गया माना जावेगा । तथापि यदि क्रेता ने लाट के पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया है तथा उसका करारनामा समाप्त नहीं किया गया है और उसने अवधि वृद्धि शुल्क के रूप में रुपये 5000/– का तथा गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए रुपये 6/– प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर दिया है और प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को हर्रा को हटाने की अनुमति देने हेतु लिखित आवेदन दिया है, तो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन ऐसी अनुमती ऐसी कालावधि के लिए दे सकेंगे जो करार की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों से अधिक की नहीं होगी । परन्तु उपरोक्त 60 दिवस की अवधि समाप्ति के उपरांत भी विशेष परिस्थितियों में संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से हर्रा हटाने हेतु इस हर्रा के निर्वर्तन के पूर्व 30 दिवस की अतिरिक्त अवधि दे सकेंगे ।

(ii) ऐसी गोदामीकृत हर्रा क्रेता की अभिरक्षा, देखरेख, पर्यवेक्षण तथा जोखिम पर, लेकिन संबंधित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के नियंत्रण में रखी जावेगी । गोदामों में संघ का ताला लगा कर अथवा किसी ऐसी अन्य प्रकिया द्वारा जैसा कि संबंधित प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा आदेशित किया गया हो, ऐसे हर्रा के अभिर्गमन तथा नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार संघ का होगा।

(iii) क्रेता को गोदाम के अंदर रखी गई हर्रा का बीमा समस्त कारणों से होने वाली संभावित हानि के लिये अनिवार्य रूप से कराना होगा । हर्रा का बीमा ऐसी राशि के लिये होगा, जो किसी भी समय क्रेता के ऊपर बकाया देय राशि से कम नहीं होगी । यदि किसी भी कारण से हर्रा की कोई हानि होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा सीधे संघ को देय होगी और इस प्रकार का प्रावधान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन की संतुष्टि के अधीन क्रेता को बीमा पालिसी में कराना होगा । यह गोदामीकरण सुविधा की विशिष्ट शर्ते है । यदि किसी भी कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की रकम संघ को अदा नहीं करती है तो क्रेता उसके भुगतान के लिये बाध्य होगा । यदि बीमा कंपनी द्वारा किये गये भुगतान तथा देय राशि में कोई अंतर है तो यह क्रेता अदा करेगा । यदि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात क्षतिपूर्ति भुगतान या उसका भाग प्राप्त होता है तो क्रेता ऐसी विलंबित राशि पर 0.040 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज अदा करेगा ।

(iv) यदि परिदान तथा क्रय के लिये निर्दिष्ट सभी निबंधनों का सम्यक रूपेण पालन/परिपालन नहीं किया जाता, तो यह समझा जावेगा कि हर्रा परिदान अथवा क्रय नहीं किया गया है ।

8. करों का भुगतान –

(i) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त करों का भी भुगतान न कर दिया जाए ।

(ii) क्रेता मध्यप्रदेश विक्रय कर अधिनियम, उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार विक्रय कर/वाणिज्यिक कर तथा वन विकास उपकर एवं अन्य करों का भुगतान बैंक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय पर करेगा ।

(iii) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, उनके मुख्यालय पर देय, किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफ्ट /डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करेगा। यथा स्थिति संघ को देय हर्रा के क्रय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो ।

9. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना –

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी क्रेता को हर्रा के परिदान के पश्चात् उसका विक्रय प्रमाण– पत्र प्रदान करेगा ।

10. करारनामे का अनुपालन –

यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट परिदान तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/परिपालन नहीं किया जाता है, तो हर्रा को परिदत्त तथा क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा ।

11. प्रतिभूति निक्षेप –

(i) क्रेता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में उसके द्वारा निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये..... की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है ।

(ii) यह प्रतिभूति निक्षेप यथास्थिति या तो पूर्णतः या अंशतः प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंध के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम क्रय मूल्य सहित यदि कोई हो के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 7 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(iii) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम जब तक कि उसकी पूर्ति प्रबंध संचालक, को उस आशय की सूचना जारी होने के 7 दिन के भीतर न की जाये, भू–राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(iv) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तो, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी । लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक पायी गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा । उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा ।

12. अधिनियम का उल्लंघन आदि –

क्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि वह स्वतः एवं उसके प्राधिकृत/नियोजित किए गए प्रतिनिधि म.प्र. में प्रचलित सभी अधिनियमों, नियमावली एवं इस करारनामे के प्रावधानों तथा इनके प्रत्येक उल्लंघन के लिये शासन को रूपये 500/– (पांच सौ) तक की राशि की देनगी करेगा । इस कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबंध संचालक, संघ क्रेता का करारनामा समाप्त किए जाने की कार्यवाही भी कर सकेंगे ।

13. शास्तियां –

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रूपये 500/– (पांच सौ) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा । यदि शास्ति की राशि रूपये 200/– (दो सौ) से अधिक हो, तो इस आदेश के विरूद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील मुख्य वन संरक्षक को की जा सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

14. क्रेता के करारनामें की समाप्ति –

(i) यदि क्रेता निर्धारित अवधि में देय राशि की अदायगी नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंधं का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसी किन्हीं अन्य अधिकारों तथा उपचारों पर जो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को प्राप्त हों, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अपने विवेक पर, इस करार को क्रेता को 7 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर, समाप्त कर सकेगा तथा क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज कर सकेगा ।

(ii) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा। करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी ।

(iii) करार की समाप्ति पर संघ निम्नलिखित बातों का हकदार होगा :–

(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने ।

(ब) गोदाम में रखे हर्रा के स्कंध, जिसका भुगतान कर दिया गया है, परन्तु परिदान नहीं लिया गया हो को संघ के पक्ष में अधिहरित करने ।

(स) (एक) गोदाम में रखे हर्रा का, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे हर्रा के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 12(iii)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने । ऐसी हानि गोदाम में रखे हर्रा जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे हर्रा जिसका संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 12(iii)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है, के विक्रय से भी वसूली योग्य होगी । यदि लाट का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा/निविदा में नहीं हो पाता है तो लाट का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी । यदि पश्चातवर्ती निविदा/निविदा में लाट का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा । यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई ब्याज देय नहीं होगा । करारनामा समाप्त होने की दशा में प्रथम क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

संबंधित निविदा/निविदा से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/निविदा से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

(दो) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,

(तीन) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर लाट/लाटों (जो प्रयुक्त न हो उसे काट दे) के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

(द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,

(ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,

(iv) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं हर्रा की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि, जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देय कर, अधिरोपित शास्तियां, निरीक्षण व्यय तथा रूपये 5000/– प्रति लाट की दर से पुनर्जीवन शुल्क आदि तथा विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, स्वविवेक से उक्त करार को पुर्नजीवित कर सकेंगे ।

(v) जब भी करार को पुनजीर्वित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी ।

(viii) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो हर्रा के लाट की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 5000/– प्रति लाट की दर से अवधि वृद्धि शुल्क

तथा गोदाम किराये के रुप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये रूपये 6/– प्रति क्विंटल की दर से राशि आदि विशेष रुप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है, तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से हर्रा हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे ।

15. लेखाओं का रख रखाव –

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसा लेखा रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणिया ऐसी तिथियों या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा कि प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित किए जायें ।

16. क्रेता के द्वारा कर्त्यव्यों का निर्वहन –

क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा ।

17. स्कंध का बीमा –

(i) क्रेता करारनामा निष्पादित होने के बाद, संघ लाट/लाटों के स्वीकृत क्रय मूल्य के बराबर की राशि का बीमा, केवल निम्नानुसार आकस्मिकताओं से होने वाली हानि के लिए कराएगा– अग्नि, लाईटनिंग, एक्सप्लोजन, इमप्लोजन, इम्पेक्ट, हवाई दुर्घटनाएं, उपद्रव, हड़ताल, दुर्भावनाजन्य क्षति तथा स्पोनटेनियस कम्बश्चन ।

(ii) **(अ) यदि क्रेता चाहे तो वह :–**

(i) अन्य प्राकृतिक अथवा अदृष्ट आपदाओं जैसे वर्षा, तूफान, बाढ़, बीमारी, भूकम्प या अन्य किसी भी कारण से होने वाली क्षति के लिए बीमा अपने स्वयं के व्यय पर करा सकेगा और इन कारणों से हुई हानि या क्षति के लिए संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

(ii) संघ के द्वारा कराए गऐ बीमा की राशि से उच्च राशि के लिए भी बीमा वह अपने स्वयं के व्यय पर करा सकेगा ।

(ब) ऐसी अधिक राशि अथवा उपरोक्त संदर्भित अन्य आपदाओं के लिए बीमा कराने की सूचना क्रेता को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक को देनी होगी ।

(iii) यहां किये गये प्रावधान के अलावा संघ, किसी भी कारण से हर्रा के स्टाक को हुई क्षति के कारण क्रेता को किसी प्रकार की हुई हानि या लाभ की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । यदि हर्रा की किसी भी मात्रा की क्षति होती है तो संघ केवल, उसके द्वारा की गई बीमा की राशि तक ही, अर्थात् क्रय मूल्य की सीमा तक ही क्षतिपूर्ति करने के दायित्वाधीन होगा और वह भी केवल उस स्थिति में जब ऐसी हानि, अग्नि, लाईटनिंग, एक्सप्लोजन, इमप्लोजन, इम्पेक्ट, हवाई दुर्घटनाएं, उपद्रव, हड़ताल, दुर्भावनाजन्य क्षति तथा स्पोनटेनियस कम्बश्चन अर्थात् उपरोक्त उप कंडिका (i) में दर्शित कारणों से हुई हो और यह भी कि यह क्षतिपूर्ति उस स्थिति में ही की जावेगी जबकि क्रेता ने क्रय मूल्य की राशि संघ को पटा दी हो, परन्तु उसने परिदान न लिया हो । यह प्रतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी से प्राप्त होने पर ही क्रेता को दी जाएगी ।

18. हर्रा के परिवहन और अनुज्ञापत्र के संबंध में –

क्रेता हर्रा का परिवहन तत्समय प्रचलित अधिनियम और नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगा ।

19. स्टाम्प शुल्क का भुगतान –

मध्यप्रदेश राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा ।

20. न्यायालय की अधिकारिता –

इस करार से उद्‌भूत समस्त विवाद मध्य प्रदेश के न्यायालयों की अधिकारिता के अध्यधीन होगा ।

जिसके साक्ष्य में, इसमें ऊपर लिखित दिनांक तथा सन् को एवं प्रबंध संचालक, जिला यूनियन ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और ऊपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने/उनके अपने–अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

करारनामा पर निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया ।

साक्षीगणः–

संघ की ओर से प्रबंध संचालक
जिला यूनियन के हस्ताक्षर

.....

1. हस्ताक्षर .....
   नाम एवं डाक का पूरा पता .....

2. हस्ताक्षर .....
   नाम एवं डाक का पूरा पता .....
   की उपस्थिति में

.....

क्रेता के हस्ताक्षर

साक्षीगणः–

नाम .....

1. हस्ताक्षर .....
नाम एवं डाक का पूरा पता .....

डाक का पूरा पता .....
.....
.....

2. हस्ताक्षर .....
नाम एवं डाक का पूरा पता .....
की उपस्थिति में

पिन कोड न0.....
दूरभाष न0.....
ई–मेल .....

परिशिष्ट–चार

वर्ष 2012 में संग्रहित एवं गोदामीकृत हर्रा एवं कचरिया के निर्वर्तन हेतु निविदा दिनांक 08.08.2012 की लाट–सूची

लाट कमांक	वनोपज का नाम	जिला यूनियन	गोदाम का नाम	अनुमानित भंडारित मात्रा (क्विंटल में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
01	हर्रा	सिंगरोली	प्रसंस्करण केंद्र सरई	255.00
02	हर्रा	सिंगरोली	समिति गोदाम बरगवां	110.31
03	हर्रा	डिंडोरी	शहपुरा गोदाम	52.60
04	कचरिया	डिंडोरी	शहपुरा गोदाम	8.05
योगः–				**425.96**

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल